N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0228 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/09/2025 12:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)		Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)		7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)		7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)		12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/04/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/09/2025 12:46:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** NIJI KARAYALYA,SANGAM E-MITARA KE PASS, SANGARIYA JILA HANUMANGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complaint / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHOLASINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	9K S D DHANEE POST MALARAMPURA, SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	9K S D DHANEE POST MALARAMPURA, SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURJEET SINGH		पिता:VEERSINGH	1. WARD NO.04,AMARPURA THEDEE,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
2	RAMKARAN		पिता:ANNAT RAM .	1. WARD NO.01 DHANEE 10 D.L.P.,DHOLIPAL,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 28.02.2025 को वक्त 04.15 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र सिह पुत्र भोलासिह जाति-जटसिख उम्र-37 वर्ष निवासी 9 केएसडी ढाणी, पोस्ट मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मन् राजेन्द्र सिह निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन 7,8,9 केएसडी में पड़ती है, जिसके खाता विभाजन के लिए उपखण्ड कार्यालय संगरिया में हमारे द्वारा वाद लगाया गया था जिसकी उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा मेरे व मेरे पारिवारिक सदस्यों के नाम डिक्री की गई थी जिसका जमाबंदी में इंतकाल दर्ज हमारे संबंधित हल्का पटवारी सुरजीत सिह द्वारा किया जाना था। जिसके लिए मेरे द्वारा इंतकाल दर्ज करवाने हेतु संबंधित हल्का पटवारी सुरजीत सिह से संपर्क किया गया तो उन्होने मेरे से मेरे नाम मेरी पुश्तैनी जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 25000/-रूपये मांगे और आज से 5-7 दिन पहले मेरे से 12500/-रूपये रिश्वत के ले लिये और अब मेरे से 12500/-रूपये ओर मांग रहा है, मै मेरे जायज काम के बदले पटवारी सुरजीत सिह को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्री सुरजीत सिह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी सुरजीत सिह पटवारी से कोई रंजिश नही है व ना ही कोई पैसो का लेन देन शेष है अतः नियमानुसार उचित कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री राजेन्द्र सिह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.20 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से ब्युरो के श्री विनय विशाल कानि. 576 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, परिवादी श्री राजेन्द्र सिह ने बताया की अब शाम हो चुकी है और अब पटवारी जी नहीं मिलेगें, इसलिए वो मुझे जब भी मिलने के लिए बुलायेगें या फोन करेगें या कोई सूचना प्राप्त होगी तब मैं आपको बता दूंगा तब आप विनय जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर संगरिया भेज देना मै वहां पर उससे मिल लूगां, फिर मैं पटवारी जी सुरजीत सिह से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, श्री विनय विशाल कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 03.03.2025 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह द्वारा आज दिनांक तक कोई संपर्क नहीं किया गया तो मन् राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक ने जरिये वॉटसअप कॉल परिवादी से सपर्क किया तो परिवादी ने बताया की अब तक पटवारी जी ने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया है वो जैसे ही मुझे मिलने के लिए बुलायेंगें या फोन करेगें या कोई सूचना प्राप्त होगी तब मैं आपको बता दूंगा तब आप विनय जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर संगरिया भेज देना मै वहां पर उससे मिल लूगां, फिर मैं पटवारी जी सुरजीत सिह से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 04.03.2025 समय 10.15 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से जरिये वॉटसअप कॉल सपर्क किया तो परिवादी ने बताया की अब तक पटवारी जी ने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया है वो जैसे ही मुझे मिलने के लिए बुलायेंगें या फोन करेगें या कोई सूचना प्राप्त होगी तब मैं आपको बता दूंगा तब आप विनय जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर संगरिया भेज देना मै वहां पर उससे मिल लूगां, फिर मैं पटवारी जी सुरजीत सिह से रिश्वत मांग का गोपनीय

सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 11.03.2025 समय 12.30 पीएम परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से जरिये वॉटसअप कॉल सपंर्क किया तो परिवादी ने बताया की अब तक पटवारी जी ने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया है वो जैसे ही मुझे मिलने के लिए बुलायेंगें या फोन करेगें या कोई सूचना प्राप्त होगी तब मैं आपको बता दूंगा तब आप विनय जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर मंगरिया भेज देना मै वहां पर उससे मिल लूगां, फिर मैं पटवारी जी सुरजीत सिह से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 01.04.2025 समय11.00 एएम परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से जरिये वॉटसअप कॉल सपंर्क किया तो परिवादी ने बताया की हमारा इंतकाल संबंधी काम तो हो गया है, मै कल आपके कार्यालय में आकर ही आपको सारी बात बताउगा, इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 02.04.2025 समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया की हमारे इंतकाल दर्ज से संबंधित कार्य हो चुका है और पटवारी सुरजीत सिह इंतकाल दर्ज करने के शेष 12500/-रूपये और मांग रहा है और मुझे उसने आज बुलाया है मैं पटवारी जी सुरजीत सिह से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। दिनांक 02.04.2025 समय 04.15 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र सिह को पुनः विनय विशाल कानि. से मिलाकर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि समझाई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह व श्री विनय विशाल कानि0 576 को संगरिया के लिए रवाना किया। समय 07.00 पीएम पर श्री विनय विशाल कानि0 गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ वापिस आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि मै व परिवादी ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ मे रवाना होकर मंगरिया में पटवारी के निजी कार्यालय के पास पहुंचे जहां पर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी पटवारी के निजी कार्यालय की तरफ गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया मैं गोपनीय रूप से बाहर मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी राजेन्द्र सिह वापिस आया व सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे वापिस सुपुर्द किया तौ मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद कर अपने पास रखा व परिवादी ने बताया की पटवारी जी अपने गांव चले गए है और मैने उन्हे फोन किया तो उन्होने कहा की तुम कल सुबह 10 बजे तक आ जाना। परिवादी ने बताया कि अब मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता इस पर मैने निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। श्री विनय विशाल कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 03.04.2025 समय 06.45 एएम पर मन् राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक प्रकरण संख्या 34/2025 व 46/2025 में आरोपीगण व परिवादीगण की नमूना आवाज से संबंधित कार्यवाही की माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सरदारशहर में तारीख पेशी नियत होने के कारण सरदारशहर रवाना हो रहा हूं, परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से संबंधित गोपनीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किये गये। समय 07.15 एएम पर श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस ने श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक से प्राप्तशुदा परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से संबंधित प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया, परिवादी को आरोपी ने आज ही 10 बजे तक बुलाया है इस कारण विनय विशाल कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर रवाना किया जायेगा। विनय विशाल कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 03.04.2025 समय 08.00 एएम पर श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस ने श्री विनय विशाल कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री विनय विशाल कानि0 576 को संगरिया के लिए रवाना किया। समय 04.30 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री विनय विशाल कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संगरिया पहुंचा, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पटवारी से संपर्क करने हेतु उसके निजी कार्यालय की तरफ रवाना किया मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, परिवादी ने बताया कि सुरजीत सिह पटवारी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है उनसे जरिये दुरभाष संपर्क किया तो उन्होने हनुमानगढ़ जाना बताया, फिर कुछ देर बाद परिवादी को पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी सुरजीत सिह पटवारी के निजी कार्यालय की तरफ भेजा मै गोपनीय रूप से मुकिम रहा, तो थोड़ी देर बाद परिवादी वापिस आया, जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया व परिवादी ने बताया कि अभी तक पटवारी सुरजीत सिह अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आये है, कुछ देर बाद परिवादी राजेन्द्र सिह को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर वापिस आरोपी पटवारी सुरजीत सिह के निजी कार्यालय में भेजा, मै गोपनीय रूप से मुकिम रहा तो कुछ देर बाद वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी राजेन्द्र सिह ने बताया कि पटवारी सुरजीत सिह व रामकरण कार्यालय में उपस्थित मिले जिन्होने मेरे से संबधित कार्य बाबत बात करते हुए शेष 12000/-रूपये में से मेरे द्वारा मिन्नत करने पर 11000/-रूपये तय

कर 3000/-रूपये मेरे से प्राप्त कर लिये और शेष 8000/-रूपये मेरे से मंगलवार तक लाने को कहा है। परिवादी ने बताया कि अब मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता इस पर मैने निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। इस पर श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस ने सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी राजेन्द्र सिह के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अलमारी में रखा। दिनांक 07.04.2025 समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि दिनांक 02.04.2025 को मै व विनय विशाल कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संगरिया मे पटवारी सुरजीत सिह के कार्यालय के पास पहुंचे जहा पर विनय जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पटवारी जी के कार्यालय में भेजा खुद बाहर ही रूक गये थे, मै पटवारी जी के कार्यालय में गया तो वो वहां पर उपस्थित नहीं मिले जिनसे मैने दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होने कहा की मै अब तो गांव आ गया हूं तू सुबह 10 बजे तक आ जाना मैं मिल जाउगा, फिर मैने वापिस विनय जी के पास आकर उन्हे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए उक्त बात बतायी थी और फिर मुझे जरूरी काम होने की वजह से मै मेरे गांव चला गया व विनय जी को अगले दिन सुबह संगरिया मिलने का कहा था। दिनांक 03.04.2025 को सुबह विनय जी मेरे पास आ गये थे फिर उन्होने मेरे को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पटवारी से संपर्क करने हेतु भेजा था वो बाहर ही रूक गये थे मैने उनके कार्यालय में जाकर पता किया तो वो वहां पर उपस्थित नहीं मिले जिनसे दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होने हनुमानगढ़ जाना बताया, फिर मै वापिस विनय जी के पास आ गया तो उन्होने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, मैने उक्त वार्ता उनको बतायी, फिर कुछ समय बाद मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया मैने पटवारी के कार्यालय में जाकर पटवारी जी सुरजीत सिह का पता किया तो वो उपस्थित नहीं मिले मै वापिस विनय जी के पास आ गया उन्होने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, कुछ देर बाद वापिस विनय जी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया मैं पटवारी के कार्यालय में गया तो वहां पर पटवारी जी सुरजीत सिह व रामकरण उपस्थित मिले जिन्होने मेरे से संबधित कार्य बाबत बात करते हुए शेष 12000/-रूपये में से मेरे द्वारा मिन्नत करने पर 11000/-रूपये तय कर 3000/-रूपये मेरे से प्राप्त कर लिये और शेष 8000/-रूपये मेरे मे मंगलवार तक लाने को कहा है। फिर मैं वहां से वापिस आकर विनय जी से मिला जिन्होने मेरे से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया फिर मैने उन्हे यह बात बता दी थी। फिर मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं उनके साथ नहीं आया वो मुझे वहीं छोडते हुए चले गये थे और मैं अपने गांव चला गया था। आज रामकरण ने मुझे फोन किया और कहा की आप आज आओगे क्या तो मैने कहा की मंगलवार की बात हुई थी तब उसने कहा की कल तो जयपुर जायेंगें कल तो कोई नहीं मिलेगा। परिवादी राजेन्द्र सिह ने बताया की आरोपी सुरजीत सिह पटवारी कल नहीं मिलेगा वो परसो मिलेगा, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 04.30 पीएम पर श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस के पास दिनांक 03.04.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित थी जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 08.45 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में चार वाईस क्लिप है, जिनमें से तीन वाईस क्लिप में परिवादी व अन्य की वार्ता है चार नं. की वाईस क्लिप में परिवादी व आरोपी सुरजीत सिह पटवारी व रामकरण के मध्य हुई वार्ता है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 02.04.2025 व दिनांक 03.04.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की चार ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि. से उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) करवाई गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 में परिवादी व आरोपी सुरजीत सिह व रामकरण के मध्य हुई वार्ता जिसकी फाईल का नाम 250403_1430 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-450adec904f8f45ae1a390d97b145c10e5c6a30b है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 02.04.2025 व दिनांक 03.04.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की चार ऑडियो फाईल है, परिवादी व आरोपी सुरजीत सिह व रामकरण के मध्य हुई वार्ता जिसकी फाईल का नाम 250403_1430 की हैश वैल्यू निकाली गई, जो SHA1-450adec904f8f45ae1a390d97b145c10e5c6a30b है। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, फर्द मुर्तिब की गई। समय 08.50 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 09.04.2025 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री

राजेन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया की मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई।
दिनांकः- 09.04.2025 समय 10.30 एएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री खियांराम सउनि. को कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ के लिए रवाना किया गया। समय 12.15 पीएम पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ से श्री खियांराम सउनि के हमराह श्री चक्र बहादुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, व उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। दिनांक 09.04.2025 समय 12.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री चक्र बहादुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, व उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक को श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री राजेन्द्र सिह के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया।
परिवादी राजेन्द्र सिह पुत्र भोलासिह जाति-जटसिख उम्र-37 वर्ष निवासी 9 केएसडी ढाणी, पोस्ट मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ने आरोपित श्री सुरजीत सिह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये जिनके नंबर फर्द में अंकित किये गये। रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे। उसके बाद गवाह चक्र बहादुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 8,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से ही परिवादी के पहने लॉवर की बांयी साईड की जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब मे निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल न. ' पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। समय 01.50 पीएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राजेन्द्र सिह, स्वतंत्र गवाह श्री चक्र बहादुर, श्री उमाशंकर वर्मा, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्रीमती शालू बिश्नोई, श्री खियांराम सउनि., श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि0, श्री रामजस कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस मय, स्वतंत्र गवाह श्री चक्र बहादुर, श्री उमाशंकर वर्मा, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्रीमती शालू बिश्नोई, श्री खियांराम सउनि., श्री रामजस कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक मय लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री लेकर निजि वाहनों से व परिवादी श्री राजेन्द्र सिह व विनय विशाल कानि. एंव श्री संदीप मुख्य आरक्षक को परिवादी की बोलेरो गाड़ी से ब्यूरो कार्यालय से संगरिया की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 02.50 पीएम पर श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा संगरिया में आरोपी पटवारी के निजि कार्यालय के पास पहुंचा, परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु आरोपी के निजि कार्यालय की तरफ रवाना किया गया, श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आरोपी के निजी कार्यालय के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 02.53 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह आरोपी के निजि कार्यालय की तरफ से बिना कोई ईशारा किये श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राजेन्द्र सिह ने बताया कि उसके निजी कार्यालय में जाने वाली सीढियो का शटर बंद है इस कारण वह अपने कार्यालय में नहीं है। इस पर परिवादी को मौके

मे माईड में ले जाकर आरोपी के कार्यालय में आने का इंतजार हेतु गोपनीय स्थान पर मुकिम हुए। समय 03.25 पीएम पर परिवादी ने श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस को बताया की आरोपी अपने कार्यालय के नीचे स्थित संगम ई-मित्र पर भी हो सकता है इस कारण मैं वहां जाता हूं। इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्दकर आरोपी मे संपर्क करने हेतु संगम फोटो स्टेट/ई-मित्र की दुकान की तरफ रवाना किया गया, श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के संगम फोटो स्टेट/ई-मित्र के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह आरोपी के निजि कार्यालय की तरफ से बिना कोई ईशारा किये श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे श्री नरेश कुमार गेरा उप अधीक्षक पुलिस ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राजेन्द्र सिह को गोपनीय स्थान पर ले जाया गया जहां पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह ने बताया की संगम फोटोस्टेट/ईमित्र पर पटवारी श्री सुरजीत सिह उपस्थित मिला जिससे मैने रिश्वत संबंधी बात की तो उसने बताया की मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है तेरा जो कुछ है वो रामकरण से है उससे बात कर लेना और मुझे वापिस भेज दिया, इस पर परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत संबंधी बात नही होना व आरोपी द्वारा परिवादी से रामकरण से बात करने बाबत कहना आदि तथ्य आये, इस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री संदीप मुख्य आरक्षक के जरिये प्राप्त कर एक सफेद कागज में लपेट कर सुरक्षित संभलायी गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के संगरिया से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए। समय 04.40 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचे, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये, परिवादी से प्राप्त शुदा रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री संदीप मुख्य आरक्षक के जरिये सुरक्षित मालखाना में रखवायी गई। समय 05.15 पीएम पर गवाह श्री चक्र बहादुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, व उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड हनुमानगढ़ को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 12.05.2025 को श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदया ने श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस का दिनांक 10.05.2025 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से गोपनीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज व मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मार्क A कपड़े की थैली में सील्डशुदा, मांग सत्यापन वार्ता का पैन ड्राईव मार्क ए-1 कपडे की थैली में सील्डशुदा व एक खुला पैनड्राईव मार्क ए-2 व एक खुला मैमोरी कार्ड वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को सुपुर्द किये गये, गोपनीय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें परिवादी द्वारा दिनांक 03.04.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया है जिसकी दिनाक 07.04.2025 को फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई है व दिनांक 09.04.2025 को रूबरू गवाहन फर्द सुपुर्दगी तैयार कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, आरोपी द्वारा रिश्वत नहीं मागंने पर परिवादी से रिश्वत राशि वापिस प्राप्त कर सुरक्षार्थ मालखाना में रखवायी गई है, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के पैन ड्राईव व दिनांक 09.04.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को सुना गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी सुरजीत सिह हल्का पटवारी व रामकरण द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य रिकॉर्ड है एंव दिनांक 09.04.2025 की वार्ता में आरोपी सुरजीत सिह हल्का पटवारी द्वारा परिवादी को रामकरण से बात करने से संबंधित तथ्य रिकॉर्ड है, परिवादी द्वारा अभी तक संपर्क नहीं किया गया है, जिनके संपर्क करने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 16.06.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व एक प्रार्थना पत्र कार्यवाही ड्रोप करने के सबंध में प्रस्तुत किया व बताया कि मैने दिनांक 28.02.2025 को श्रीमान् के कार्यालय में सुरजीत सिह हल्का पटवारी 9 केएसडी ढाणी तहसील संगरिया के खिलाफ रिश्वत की मांग करने का प्रार्थना पत्र दिया था तथा दिनांक 03.04.2025 को रिश्वत मांग करने का सत्यापन करवाया था जिसमें पटवारी सुरजीत सिह व उसके पास काम करने वाले रामकरण ने मुझे मेरे कार्य के बदले 11000/-रूपये मांगे तथा मेरे से 3000/-रूपये प्राप्त कर लिये और शेष 8000/-रूपये मेरे से मंगलवार तक लाने को कहा जिस पर श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 09.04.2025 को सरकारी गवाह व टीम लेकर ट्रेप कार्यवाही का प्रयास किया था परन्तु सुरजीत सिह पटवारी ने रिश्वत राशि नहीं ली और मुझे रामकरण से बात करने का कहा। उसके बाद से सुरजीत सिह पटवारी और रामकरण मेरे से नही मिल रहे है और मेरे से रिश्वत की शेष राशि नहीं मांग रहे है। अतः अब कार्यवाही होना संभव नहीं है अतः यह कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करने की कृपा करें तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत ट्रेप राशि 8000/-रूपये लौटाने तथा उक्त सुरजीत सिह पटवारी व रामकरण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। समय 04.25 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी राजेन्द्र सिह के आवेदन पर ट्रेप राशि 8000/-रूपये श्री संदीप मु0आ0 से मालखाना से मंगवाकर गिनकर जरिये रसीद वापस लौटाये गये। प्राप्ति रसीद शामिल कागजात की गई। इस प्रकार परिवादी राजेन्द्र सिह पुत्र भोलासिह जाति-जटसिख उम्र-37 वर्ष निवासी 9 केएसडी ढाणी, पोस्ट मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के पुश्तैनी जमीन चक 7,8,9 केएसडी में पड़ती है, जिसके खाता विभाजन के लिए उपखण्ड कार्यालय संगरिया में उनके द्वारा वाद लगाया गया था जिसकी उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा परिवादी व परिवादी के पारिवारिक सदस्यों के नाम डिक्री की गई थी

जिसका जमाबंदी में इंतकाल दर्ज संबंधित हल्का पटवारी सुरजीत सिह द्वारा किया जाना था। जिसके लिए परिवादी द्वारा इंतकाल दर्ज करवाने हेतु संबंधित हल्का पटवारी सुरजीत सिह से संपर्क किया गया तो उन्होने परिवादी राजेन्द्र सिह से परिवादी के नाम उसकी पुश्तैनी जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 25000/-रूपये मांगे और 12500/-रूपये रिश्वत के ले लिये और परिवादी से 12500/-रूपये ओर मांग रहा था परिवादी राजेन्द्र सिह द्वारा आरोपी श्री सुरजीत सिह हल्का पटवारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 03.04.2025 को पटवारी सुरजीत सिह व रामकरण का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो उनके द्वारा परिवादी से संबधित कार्य बाबत बात करते हुए पूर्व में ली हुई रिश्वत राशि की हां भरते हुए शेष 12000/-रूपये में से परिवादी द्वारा मिन्नत करने पर 11000/-रूपये तय कर 3000/-रूपये परिवादी से प्राप्त कर लिये और शेष 8000/-रूपये परिवादी राजेन्द्र सिह से मंगलवार तक लाने को कहा आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, फिर दिनांक 09.04.2025 को रूबरू गवाहन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन उस दिन आरोपी श्री सुरजीत सिह पटवारी द्वारा रिश्वत राशि नहीं ली और परिवादी को रामकरण से बात करने का कहा। उसके बाद से सुरजीत सिह पटवारी और रामकरण परिवादी से नही मिल रहे है और परिवादी से रिश्वत की शेष राशि नहीं मांग रहे है। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि रिश्वत राशि वापस देने व आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर परिवादी को राशि वापिस लौटायी। इस प्रकार श्री सुरजीत सिह हल्का पटवारी 7,8,9 केएसडी व रामकरण ने आपसी मिलीभगत आपराधिक षड़यन्त्र किया। सुरजीत सिह हल्का पटवारी द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव रामकरण से आपराधिक षड़यन्त्र कर परिवादी श्री राजेन्द्र सिह से उसकी पुश्तैनी जमीन की खाता विभाजन की डिक्री का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 25000/-रूपये मांगे तथा 13000/-रूपये पहले प्राप्त कर लिये व दौराने सत्यापन शेष राशि 12000/-रूपये में से परिवादी द्वारा मिन्नत करने पर 11000/-रूपये तय कर 3000/-रूपये परिवादी से प्राप्त कर लिये और शेष 8000/-रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः आरोपी श्री सुरजीत सिह पुत्र श्री वीरसिह, उम्र-46 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, अमरपुरा थेडी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवास मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ एंव श्री रामकरण पुत्र श्री अन्नत राम उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 ढाणी 10 डीएलपी धोलीपाल जिला हनुमानगढ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री सुरजीत सिह पुत्र श्री वीरसिह, उम्र-46 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, अमरपुरा थेडी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवास मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ एंव 2-श्री रामकरण पुत्र श्री अन्नत राम उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 ढाणी 10 डीएलपी धोलीपाल जिला हनुमानगढ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र सोनी, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 68 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1298-1301 दिनांक 04-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 3- जिला कलक्टर हनुमानगढ। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHUPENDER KUMAR SONI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2025 1[illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1979				
2	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)